डिस्कलेमर

आदेश संख्या 40/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- IX

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 40/2023-24

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख: 15 मार्च, 2024

विषय : मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2024 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

ऐरा ने दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के आदेश संख्या 19/2023-24 द्वारा निम्नलिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों को अन्य बातों के साथ-साथ 01.10.2023 से 31.03.2024 तक छ: (06) माह की अगली अवधि, या, उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंतरिम आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी:

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
2	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
3	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
4	कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (केआईएएल)	कन्नूर
5	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	पटना
6		भुवनेश्वर
7		इंदौर
8		कोयम्बटूर
9.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)	शिर्डी

2. प्राधिकरण ने उपर्युक्त हवाईअड्डों के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने संबंधी स्थिति की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:

(i) कन्नूर हवाईअड्डा, पटना हवाईअड्डा और भुवनेश्वर हवाईअड्डे के लिए टैरिफ आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।

(ii) जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम, इंदौर, कोयम्बटूर और शिर्डी हवाईअड्डों के संबंध में बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तावों की जांच की जा रही है और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में थोड़ा और समय लगेगा।

(iii) दिल्ली, मुम्बई, अमृतसर और वाराणसी हवाईअड्डों के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इन चारों हवाईअड्डों की पिछली नियंत्रण अवधि 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है।

3. उपर्युक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम, इंदौर, कोयम्बटूर, शिर्डी, दिल्ली, मुम्बई, अमृतसर और वाराणसी हवाईअड्डों के संबंध में वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम रूप से टैरिफ निर्धारित करने में थोड़ा और समय लगेगा। तदनुसार प्राधिकरण निम्नानुसार निर्णय लेता है:

निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में 31.03.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर 01.04.2024 से 30.09.2024 तक अगले 06 (छ:) माह की अवधि के लिए या संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाना:

तालिका 1

क्र. सं.	**हवाईअड्डा प्रचालक का नाम**	**हवाईअड्डे का नाम**
1.	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
2.	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
3.	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
4.	डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	दिल्ली
5.	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)	मुम्बई
6.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	इंदौर
7.		कोयम्बटूर
8.		अमृतसर
9.		वाराणसी
10.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)	शिर्डी

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) **हवाईअड्डा प्रचालकों (उपर्युक्त तालिका-I की क्रम संख्या 1 से 10 में सूचीबद्ध)** को 31.03.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर 01.04.2024 से 30.09.2024 तक अगले छ: (06) माह तक या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता अधिकारी

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

1. अध्यक्ष
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2. श्री मनोज चांदुका, उपाध्यक्ष (विनियामक मामले)
अदानी कॉर्पोरेट हाउस,
शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्किल के पास, एस.जी. हाईवे,
खोडियार, अहमदाबाद- 382421

3. श्री के. नारायण राव, निदेशक,
डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल-3 के सामने,
नई दिल्ली-110037

4. श्री प्रकाश तुलसैनी,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
टर्मिनल-1बी, मुम्बई-400099

5. श्री संजय कंगणे,
मुख्य वित्त अधिकारी,
महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
8वां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
कफ परेड, मुम्बई-400005

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. नागर विमानन महानिदेशालय को - एआईसी जारी करने के लिए